A 6/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

पीठासीन अधिकारी— करतार सिंह,
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
157 / प्रा0पत्र / 17	13.04.2017	27.05.2022

सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

—प्रार्थी

बनाम

1. भूरा आ0 किशन जाति तेली निवासी कालामाल तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक)।
   - 1/1. रामलक्ष्मण
   - 1/2. सूरजमल
   - 1/3. बन्शीलाल
   - 1/4. बिरधीलाल

   } पि0 भूरा जाति तेली निवासी कालामाल तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
   - 1/5. गोरी बाई पत्नि भूरा जाति तेली निवासी कालामाल तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. नाथू आ0 किशन जाति तेली निवासी कालामाल तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. मोहन आ0 किशन जाति तेली निवासी कालामाल तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक)।
   - 3/1. नन्दलाल आ0 मोहन जाति तेली निवासी कालामाल तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
   - 3/2. हजारीलाल आ0 मोहन जाति तेली निवासी कालामाल तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक)।
     - 3/2/1. रोहित
     - 3/2/2. चिन्नू

     } पि0 हजारीलाल जाति तेली निवासी कालामाल तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
     - 3/2/3. सोनिया पत्नि हजारीलाल जाति तेली निवासी कालामाल तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
   - 3/3. आशा
   - 3/4. पार्वती

   } पुत्री मोहन जाति तेली निवासी कालामाल तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
   - 3/5. नोरती पत्नि मोहन जाति तेली निवासी कालामाल तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. जमना आ0 किशन जाति तेली निवासी कालामाल तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

—अप्रार्थीगण

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से—पेरोकार सरकार
अप्रार्थी संख्या 3/2/1 लगायत 3/2/3 की ओर से—श्री रामदत्त शर्मा एड0
अप्रार्थी संख्या 1/1 लगायत 1/5, 2, 3/1, 3/3, 3/4, 3/5 व 4 की ओर से—श्री कैलाश चन्द्र नामघराणी एड0

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

A 6/2

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार हिण्डोली द्वारा अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण भूरा, नाथू, मोहन, जमना पि0 किशन जाति तेली निवासी कालामाल तहसील हिण्डोली के पिता किशन आ0 रामसुख को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 409 रकबा 0.10 बीस्वा वाके ग्राम कालामाल तहसील हिण्डोली आवंटन आदेश दिनांक 29.06.1976 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

बहस उभयपक्ष समाअत की गई।

राजकीय अभिभाषक बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी किशन (मृतक) को विवादित कृषि भूमि खसरा सख्या 409 रकबा 0.10 बीस्वा वाके ग्राम कालामाल तहसील हिण्डोली का आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा विधान एवं प्रकिया के विपरीत आवंटन किया गया हैं। आवंटी किशन (मृतक) का आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर कभी भी वास्तविक भौतिक कब्जा नहीं रहा हैं तथा भूमि पर कभी भी काश्त नहीं की गई हैं। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई हैं। आवंटन के पश्चात प्रथम व द्वितीय वर्ष में आवंटित भूमि के 1/2 भाग में जोतना व फसल करना नियमों में अनिवार्य हैं। आवंटन नियम 14(3) की पालना उक्त आवंटन आदेश में नहीं की गई हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आवंटन आदेश दिनांक 29.06.1976 को खारिज किया जावें।

वकील अप्रार्थीगण ने दोराने बहस तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी किशन (मृतक) को आवंटन की पात्रता रखने से आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा विधिवत प्रकिया अपनाकर भूमि का आवंटन किया गया हैं। आवंटन पूर्ण कोरम में किया गया हैं। अप्रार्थी किशन (मृतक) का गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड होना स्वीकार हैं। अप्रार्थीगण आवंटनशुद्धा भूमि खसरा संख्या 409 रकबा 0.10 बीस्वा पर आवंटन से लेकर आज तक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं। भूमि पर आवंटी किशन (मृतक) के वारिसान पुत्र भूरा, नाथू, मोहन, जमना का ही कब्जाकाश्त हैं। संबंधित हल्का पटवारी ने उक्त भूमि पर झूठा लिखा हैं। हल्का पटवारी अप्रार्थीगण से नाजायज राशि की मांग करता हैं और नहीं देने पर रंजिशवश यह झूठी कार्यवाही करवायी हैं। उक्त भूमि पर अप्रार्थी किशन (मृतक) के वारिसान काबिज हैं एवं वही पर अप्रार्थी किशन (मृतक) के वारिसान ने अपना निजी मकान व बाड़ा बना रखा हैं। अप्रार्थी किशन (मृतक) के वारिसान पुत्र भूरा, नाथू, मोहन, जमना भूमि पर काबिज काश्त होने के कारण इससे साफ जाहिर हैं कि भूमि पर अप्रार्थी किशन (मृतक) के वारिसान पुत्र भूरा, नाथू, मोहन, जमना काबिज हैं। यह कार्यवाही हल्का पटवारी ने रंजिशवश पेश करवाई हैं जो खारिज होने योग्य हैं। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 29.06.1976 यथावत रखा जावें।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। हम प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्यायोचित समझते हैं। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रकट हैं कि अप्रार्थी किशन (मृतक) को आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 29.06.1976 को आवंटन किया गया हैं। प्रार्थी द्वारा यह तथ्य व्यक्त किये गये हैं कि अप्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जाकाश्त नहीं रहा हैं। इस संबंध में पत्रावली में उपलब्ध हल्का पटवारी फर्द मौका जांच रिपोर्टानुसार उक्त भूमि पर अप्रार्थी किशन (मृतक) के वारिसान काबिज हैं एवं वही पर अप्रार्थी किशन (मृतक) के वारिसान ने अपना निजी मकान

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

A6/3

...ना रखा हैं, अंकित हैं। राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, ...के नियम 14(4) में यह उल्लेखित है कि यदि आवंटन कपट या दुव्र्यपदेशन (misrepresentation) द्वारा प्राप्त किया गया हो, या नियमों के विरूद्व किया हो अथवा यदि आवंटिती ने आवंटन की शर्तों में से किसी भी शर्त को भंग किया हो तो ऐसे आवंटन को निरस्त किया जा सकेगा। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई तथ्य या दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया हैं जिससे यह साबित हो कि आवंटी द्वारा कौनसे तथ्य छिपाये जाकर आवंटन करवाया गया हैं तथा आवंटन की कौनसी शर्तों की पालना नहीं की गई हैं। अतः उक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र सारहीन/बलहीन होने से खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतएवः परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 29.06.1976 यथावत रखा जाता हैं। पत्रावली फैसलें में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 27.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर,
बूंदी